प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की 10वीं वर्षगाँठ

[स्रोत: पी.आई.बी.]

चर्चा में क्यों?

8 अप्रैल 2025 को, [प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY)] ने **वर्ष 2015** में लॉन्च होने के बाद से **10 वर्ष** पूर्ण कर लिये। इसकी संपूर्ण भारत में **सूक्ष्म और लघु उद्यमों (MSE)** को **संपार्श्विक-मुक्त वित्तीय सहायता** प्रदान करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है।

PMMY की प्रमुख उपलब्धियाँ क्या हैं?

- **क्रेडिट आउटरीच:** वर्ष 2015 से अब तक **52 करोड़ ऋणों** के माध्यम से **32.61 लाख करोड़ रुपए** से अधिक का **वितरण** किया जा चुका है, जिनमें **100 मिलियन से अधिक पहली बार ऋण लेने वाले** लोग शामिल हैं।
  - **MSME ऋण 8.5 लाख करोड़ रुपए (वित्त वर्ष 2014)** से बढ़कर **27.25 लाख करोड़ रुपए (वित्त वर्ष 2024)** हो गया, **बैंक ऋण** में इसकी हिस्सेदारी **15.8% से बढ़कर लगभग 20%** हो गई।
- **समावेशी वित्तीय पहुँच:** PMMY लाभार्थियों में **68%** महिलाएँ हैं। वित्त वर्ष 2016 से वित्त वर्ष 2025 तक प्रति महिला ऋण वितरण में 13% की **CAGR** और जमा में 14% की दर से वृद्धि हुई।
  - SBI के अनुसार, PMMY खातों में से **आधे खाते SC, ST और OBC** उद्यमियों के पास हैं, तथा 11% अल्पसंख्यकों के पास हैं।
- **महामारी सहायता:** आत्मनिर्भर भारत के तहत शिशु ऋण पर **2 % ब्याज-अनुदान** ने कोविड-19 के दौरान **चूक को रोकने** और आजीविका की रक्षा करने में मदद मिली।
- **ऋण मांग:** अधिक उधारकर्ता **अल्प शिशु ऋण (92% से घटकर 63% रह गया)** से उच्च किशोर (5.9% से बढ़कर 44.7% हो गया) और तरुण श्रेणियों की ओर अग्रसर हो रहे हैं।
- **क्षेत्रीय पहुँच:** तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक कुल PMMY वितरण में अग्रणी हैं, जबकि त्रिपुरा, ओडिशा और तमिलनाडु प्रति व्यक्ति ऋण में शीर्ष पर हैं।
  - **जम्मू-कश्मीर** ऋण वितरण में केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष पर है, जबकि **बिहार और पश्चिम बंगाल** में अप्रयुक्त क्षमता परिलक्षित होती है।

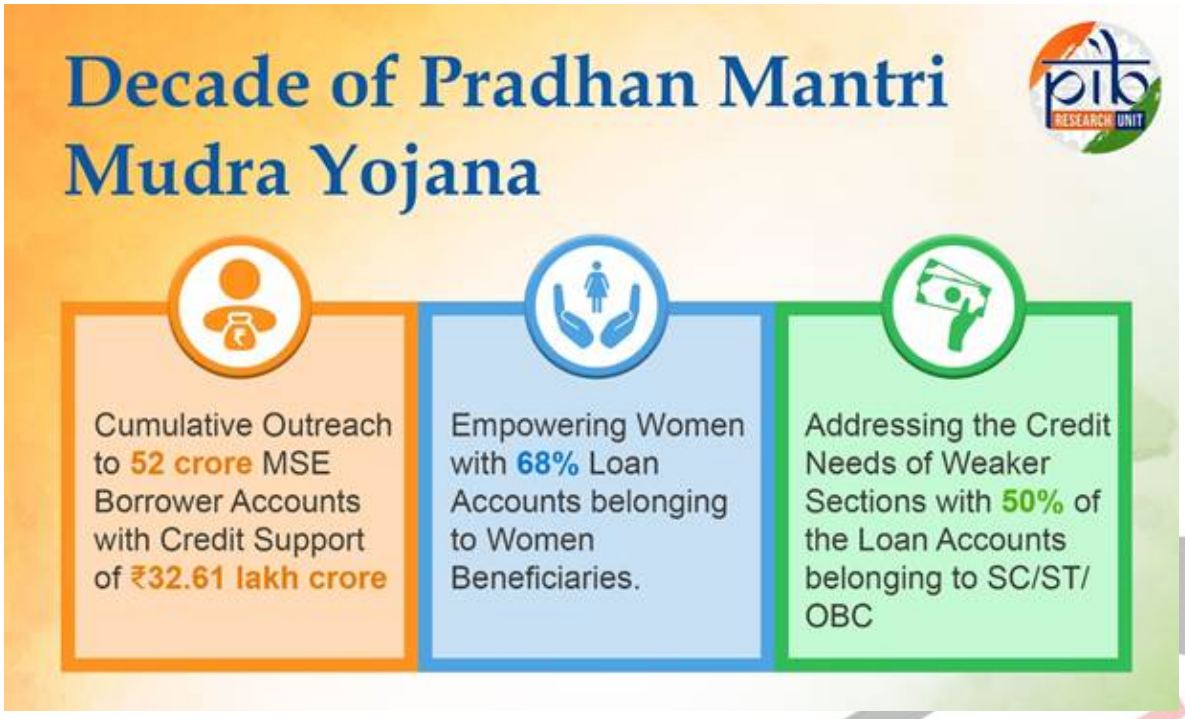

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) क्या है?

- **परिचय: माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी (MUDRA)** भारत सरकार की एक **प्रमुख योजना** है, जिसे **सदस्य ऋण संस्थानों (MLI)** के माध्यम से **संवहनीय, संपार्श्विक-मुक्त संस्थागत ऋण** प्रदान करने के लिये **वर्ष 2015** में लॉन्च किया गया था।
- **प्रमुख विशेषताएँ:**
  - **प्रकार:** केंद्रीय क्षेत्रक योजना
  - **वित्तपोषण प्रावधान:** इसके अंतर्गत **सदस्य ऋण संस्थाओं (एमएलआई)** जैसे **अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक**, **RRB**, **NBFC** और **MFI** के माध्यम से ऋण प्रदान किये जाते हैं।
  - **पुनर्वित्त:** यह **MUDRA लिमिटेड** (माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी) द्वारा प्रबंधित है, जो MLI को पुनर्वित्त प्रदान करता है, लेकिन उधारकर्त्ताओं को **प्रत्यक्ष ऋण** नहीं देता है।
  - **ऋण गारंटी: वर्ष 2015** में स्थापित **माइक्रो यूनिट्स के लिये ऋण गारंटी फंड (CGFMU)** के माध्यम से प्रदान की जाती है।
- **अन्य लाभ:**
  - कोई प्रसंस्करण शुल्क नहीं, **कोई संपार्श्विक नहीं**, ऋण का सुलभ अभिगम और **लचीली पुनर्भुगतान** शर्तें।
  - **MUDRA कार्ड, कार्यशील पूंजी** की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये ऋण खाते पर जारी किया गया **डेबिट कार्ड** है।
- **ऋण श्रेणियाँ:**

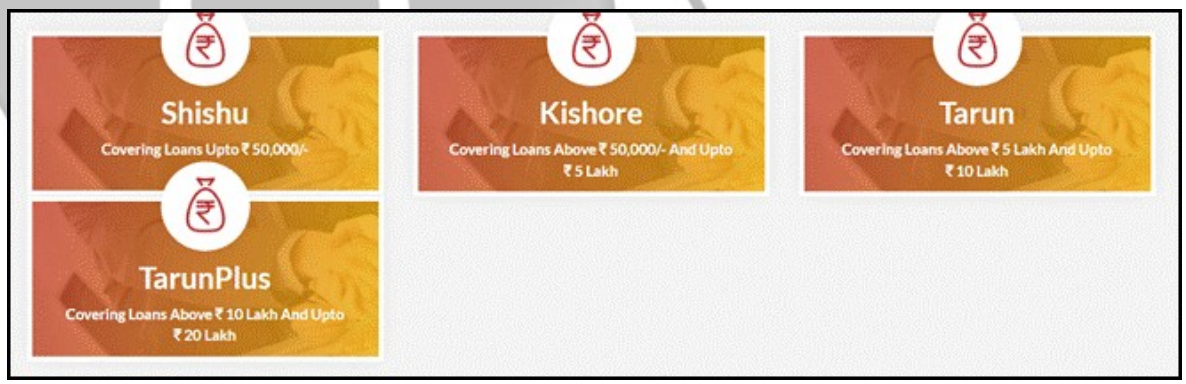

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. प्रधानमंत्री MUDRA योजना का लक्ष्य क्या है? (2016)

(a) लघु उद्यमियों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाना
(b) निर्धन कृषकों को विशेष फसलों की कृषि के लिये ऋण उपलब्ध कराना
(c) वृद्ध एवं निस्सहाय लोगों को पेंशन प्रदान करना

(d) कौशल वकिास एवं रोज़गार सृजन में लगे स्वयंसेवी संगठनों का नधियिन करना

उत्तर: (a)

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/10th-anniversary-of-pradhan-mantri-mudra-yojana